न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद पत्र संख्या 21/2021 GCMS NO. 2021/47 **उनवानी बजरंगलाल बनाम ताराचन्द आदि** **अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट 1955**	
11.11.2024	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता वादी को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता वादी हाजिर आये। अधिवक्ता वादी को सुना गया। पत्रावली की गत आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर पाया कि वादी को प्रतिवादीगण की तामील करवाये जाने हेतु बार–बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी वादी ने दावा दायरी से लेकर आज तक प्रतिवादीगण की तामील नहीं करवाई है। इससे यह जाहिर होता है कि वादी को प्रतिवादीगण की तामील कराने में कोई रूची नहीं है। बार बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी पूर्व आदेशिकाओं की पालना बिना किसी उचित कारण के जानबूझ के नहीं की जा रही है। अतः वादी का हस्तगत वाद पत्र तामील के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (बन्शी धर योगी) उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0) उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.12.09 17:20:34 IST
Reason: SelfAttested